

20/08/2024

पत्रावली प्रस्तुत। कमील क्षपीलान्त
क राज फैरोदार उप-।

पत्रावली में मूल क्षपील का निर्णय
हो जाने वस प्रार्थना पत्र का कोई
शौचिक नहीं रह जाता है।
अतः पत्रावली केवल सुगार घेते हुए
नमक ले कम बेकर शखिल इफ्तार
है।

जा

